रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22022021-225324
CG-DL-E-22022021-225324

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 85] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 22, 2021/फाल्गुन 3, 1942
No. 85] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 22, 2021/PHALGUNA 3, 1942

संचार मंत्रालय

(दूरसंचार विभाग)

(यूएसओएफ)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 फरवरी, 2021

सा.का.नि. 126(अ).—भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) के खंड 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का पयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा भारतीय तार नियमावली, 1951 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, नामत:-

1. (1) लघु शीर्ष और लागू होना: इन नियमों को भारतीय तार (संशोधन) नियमावली, 2021 कहा जाएगा।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. भारतीय तार नियमावली, 1951 के नियम 525, उप नियम (2), (इसके बाद इसे उक्त नियमों के रूप उल्लेख किया गया है) में:-

(i) खंड (v) में मद (ड) के बाद निम्नलिखित मद शामिल की जाएगी, नामत:-

(ढ) भारतनेट परियोजना के चरण-। की ग्राम पंचायतों में भारतनेट को उपयोग में लाने के लिए सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड दो वाई-फाई की बजाए एक वाई-फाई अभिगम बिंदु तथा 5 एफटी टीएच कनेक्शन तथा भारतनेट के माध्यम से इंटरनेट अभिगम सरकारी संस्थाओं जैसे पुलिस स्टेशन, जन स्वास्थ्य

तथा देखभाल केंद्र, स्कूलों, आंगनबाड़ी, उप केंद्रों, पंचायतों और कृषि डिपो/राशन की दुकानों के लिए इन ग्राम पंचायतों से 2 कि.मी के दायरे में प्रदान करेंगी।

(ii) नियम 526 में "और खंड (V) के (ड)" के शब्दों, कोष्ठकों को निम्नलिखित शब्द, कोष्ठक तथा वर्ण "खंड (V) के (ड) और (ढ)" से बदला जाएगा।

[फा. सं. 30-180/2016-बीबी-यूएसओएफ]

नवनीत गुप्ता, संयुक्त सचिव

नोट: मूल नियम भारत के राजपत्र के भाग-II, खंड-3 में दिनांक 06 अक्तूबर,1951 की अधिसूचना संख्या एसआर 1546 के द्वारा प्रकाशित किए गए थे और पिछली बार इन्हें दिनांक 14.01.2021 की भारत के राजपत्र के भाग-II, खंड-3, उप खंड-1 में प्रकाशित की गई दिनांक 12.01.2021 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 22 (असाधारण) के द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Department of Telecommunications)

(USOF)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th February, 2021

G.S.R. 126(E).—In exercise of the powers conferred by section 7 of the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Indian Telegraph Rules, 1951, namely:-

(1) Short title and commencement.- these rules may be called the Indian Telegraph (Amendment) Rules, 2021.

(2) These shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

(2) In the Indian Telegraph Rules, 1951, in rule 525, in sub-rule (2), (hereinafter referred to as the said rules),-

(i) in clause (v), after item (m), the following item shall be inserted, namely:-

(n) "For undertaking the utilization in the Gram Panchayats of Phase-I of BharatNet project, CSC e-Governance Services India Limited shall provide one Wi-Fi Access Point (AP) instead of two and 5 FTTH connections to government institutions such as police stations, public health & wellness centers, schools, aanganwadis, sub-centers, Panchayats and agriculture depot/ration shops by providing internet access through BharatNet within two kilometers of the Gram Panchayat jurisdiction."

(ii) In rule 526, for the words, brackets "and (m) of clause (v)', the following words, brackets and letters "(m) and (n) of clause (v)" shall be substituted.

[F. No. 30-180/2016-BB-USOF]

NAVNEET GUPTA, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, under part II, section 3, vide notification number SR 1546 dated 6th October, 1951 and lastly amended vide notification number GSR 22 (E) dated 12-01-2021 was published in the Gazette of India under part II section 3, sub section (i) dated 14-01-2021.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SURENDER MAHADASAM Digitally signed by SURENDER MAHADASAM Date: 2021.02.22 16:12:16 +05'30'